अखिल भारतीय कोली समाज (रजि०)
नई दिल्ली

संविधान

अखिल भारतीय
कोली समाज

केन्द्रिय कार्यालय :

कोली समाज भवन

बी-1/48, गली नं० 3, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096
फोन नं. : 011-22710518
वेबसाईट : www.akhilbhartiyakolisamaj.org

संशोधित संविधान, जुलाई 2014

Scanned by CamScanner

अखिल भारतीय कोली समाज का ज्ञापन

नाम : इस संस्था का नाम अखिल भारतीय कोली समाज है। जो एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था है। इसका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, दिल्ली के कार्यालय में अधिनियिम 1860 (Socities RegistrationAct 1860) के अर्न्तगत 1971-72 में हुआ व पंजीकरण संख्या 5356/1971-72 है।

कार्यालय : इस संस्था का केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली में है और वर्तमान पता है :- कोली समाज भवन, बी-1/48, गली नं० 3, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096

अखिल भारतीय कोली समाज के उद्देश्य

1. स्वजातीय समाज में शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना ।
2. स्वजातीय समाज भवनों, धर्मशालाओं की स्थापना करना तथा पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, छात्रावास आदि का प्रबन्ध करना ।
3. समस्त भारत की बिखरी हुई कोली-कोरी जाति तथा इसकी उपजातियों को संगठित करना जो कि विभिन्न प्रान्तों में, भाषा व दूरी के विचार से तथा कुछ सामाजिक रूढ़ियों के कारण विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओं व विभिन्न नामों से पुकारी जाती है, उन सबका आपस में तारतम्य (मेल-जोल) स्थापित करना ।
4. कोली जाति की संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु जाति के महापुरूषों, संतों, सम्राटों एवं वीरांगनाओं की जयन्तियां तथा स्मृति दिवस मनाना और समय-समय पर अधिवेशनों, सामूहिक विवाहों व परिचय सम्मेलनों का आयोजन करना । शासकीय सहयोग से इन महापुरूषों के पार्क बनवाना व चौराहों पर मूर्तियां स्थापित करना।
5. प्राचीन यादगारों की खोज करना तथा उनकी रक्षा हेतु प्रयत्नशील रहना ।
6. समाज के अनाथ एवं अपाहिज व्यक्तियों तथा असहाय परिवारों को हर प्रकार की मदद देना। योग्य व निर्धन छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन देना।

Scanned by CamScanner

उत्कृष्ट समाजसेवियों व स्वतन्त्रता सैनानियों का सम्मेलनों में सम्मान करना ।

7. कोली समाज में प्रचलित कुप्रथाओं और रूढ़ियों का बहिष्कार करना ।

8. कोली जाति जो कि विभिन्न प्रान्तों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नाना प्रकार के धन्धे अपनाये हुए है, और विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं, उसके संगठन हेतु उसकी शाखाओं, उपशाखाओं सम्बन्धी तथ्यों का शोध करना तथा उसका एक क्रमबद्ध इतिहास लिखना ।

9. ऐसी पुस्तकें, पैम्पलेट, कलैन्डर और पत्रिकाएं इत्यादि साहित्य को प्रकाशित करना जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

10. स्वजातीय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं सांस्कतिक उन्नति का पथ प्रदर्शन व केन्द्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त करना ।

11. कोली समाज के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा राष्ट्रीय निर्माण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना ।

Scanned by CamScanner

अखिल भारतीय कोली समाज के नियम व विनियम

कार्यालय : अखिल भारतीय कोली समाज का केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली में ही रहेगा और इसका वर्तमान पता है : कोली समाज भवन, बी-1/48, गली नं० 3, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096

कार्यक्षेत्र :- राष्ट्रीय कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण भारत में प्रादेशिक और जिला/नगर स्तरीय समितियां स्थापित कर सकेगी।

परिभाषा :- 'समाज' का अर्थ 'अखिल भारतीय कोली समाज' संस्था से है । 'कार्यकारिणी' का अर्थ केन्द्रीय/राष्ट्रीय कार्यकारिणी से है।

वित्तीय वर्ष :- संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा।

सदस्यता

(क) **आजीवन सदस्य** :- एक साथ 5000/-रूपये या इससे अधिक समाज को आर्थिक सहयोग देने वाले व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य होगें।

(ख) **सक्रिय सदस्य** :- समाज को 300/-रूपये त्रिवार्षिक धनराशि चन्दा के रूप में देने वाले समाज के सक्रिय सदस्य होगें।

(ग) **साधारण सदस्य** :- समाज को 100/-रूपये त्रिवार्षिक धनराशि चन्दा के रूप में देने वाले व्यक्ति समाज के साधारण सदस्य होगें।

(घ) **अहर्तायें और शर्ते** :-

1. सदस्यता के लिए आयु कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
2. सार्वजनिक या कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष/सभापति की आज्ञानुसार ही अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होगा ।
3. समाज की बैठक में मद्यपान इत्यादि निषेध होगा।
4. किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप लगाना वर्जित होगा, सिवाय इसके कि वह आरोप समाज के हित में हो।
5. समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य, प्रस्ताव तथा नियम प्रत्येक सदस्य को मान्य होगें।
6. समाज के प्रत्येक सदस्य को जातीय विघटन तथा देशद्रोही कार्यो से सर्वथा दूर रहना होगा।

Scanned by CamScanner

7. समाज के साधारण व सक्रिय सदस्यता शुल्क में परिवर्तन/परिवर्द्धन करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा। उपरोक्त दोनों सदस्यता शुल्क का 25 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष केन्द्रीय कार्यालय को प्रादेशिक इकाई द्वारा देय होगा।

8. संस्था की बैठकों इत्यादि में शिष्टाचार, मर्यादा अनुशासन तथा समय का पूर्णरूप से पालन करना होगा।

सदस्यों के अधिकार

साधारण सदस्य : समाज की जिले स्तर तक की गतिविधियों में सहयोग देने तथा आम सभा की बैठक आदि में भाग लेने व वोट देने का अधिकार होगा।

सक्रिय सदस्य :-

1. सदस्यों को इन नियमों व विनियमों व सदस्यता के अनुसार समाज की सक्रिय गतिविधियों के संचालन तथा चुनाव आदि में भाग लेने का अधिकार होगा।

2. समाज के सदस्यगण समय-समय पर अपने सुझाव दे सकेगें, जिन पर कार्यकारिणी विचार कर सकेगी और रीति-नीति निर्धारित करेगी।

3. समाज के सदस्य आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, महामन्त्री विभिन्न मंत्रियों व सम्पादक आदि से कार्यालय के पते पर पत्र व्यवहार से या बेवसाईट से सामाजिक जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

4. यदि किसी सदस्य का चन्दा चालू अवधि (3 वर्ष) अथवा पूर्व समय का बाकी रहता है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

5. कोई सदस्य समाज में साधारणतया दो पद एक साथ ग्रहण नहीं कर सकेगा। यदि कार्यकारिणी चाहे तो किसी सदस्य को एक से अधिक पद दिए जा सकते हैं।

आजीवन सदस्य :- यह केन्द्रीय कार्यालय से सीधे सम्पर्क रख सकेगें तथा समाज की सभी स्तर की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अथवा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चुने/आमंत्रित किए जा सकते हैं।

Scanned by CamScanner

संस्था की ओर से आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र/फोटो पास जारी किए जायेगें।

संगठन के स्तर

समाज का संगठन चार स्तरीय होगा तथा कार्यकारिणी सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार होगी :-

1.	अखिल भारतीय (राष्ट्रीय)	- कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 75
2.	प्रादेशिक	- कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 51
3.	जिला	- कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 41
4.	तहसील/नगर	- कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 21

विशेष आमंत्रित सदस्यों का मनोनयन करने के पश्चात इकाई अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित एक स्तर ऊपर की इकाई अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन से होगा। कार्यकारिणी का कार्यकाल सामान्यतया 3 वर्ष होगा।

कार्यकारिणी

1. विभिन्न प्रादेशिक समाज की ईकाई के प्रतिनिधि तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करेगें। कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य फिर से आगामी अवधि के लिए पुनः चुना जा सकता है।
2. प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों व विशेष आमंत्रितों को आजीवन सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त चुने हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ही समाज के कार्य संचालन के लिए इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगें, पश्चात् अध्यक्ष को निम्नलिखित पदाधिकारियों को चयन करने का अधिकार होगा।

   (1) कार्यकारी अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष -पांच (3) महामन्त्री-दो, (4) मंत्री-छः (5) संगठक - चार, (6) कोषाध्यक्ष (7) खंजाची (8) लेखा निरीक्षक (ओडिटर) (9) प्रचार मंत्री (10) मीडिया प्रभारी (11) सदस्य -शेष संख्या । ये सभी पद अवैतनिक होगें। तकनीकी पदों के चयन में योग्यता/अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा।

Scanned by CamScanner

4. समाज की सर्वाधिकारिणी समिति 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी' ही होगी जो समाज के कार्यक्रमों और प्रवृतियों विषयक निर्णय लेगी और उसके निर्णय अन्तिम होगें। उसे सब प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा किसी भी संस्था से लेने-देने, पदाधिकारियों को चुनने व कार्य मुक्त करने आदि के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होगें।

5. संस्था की कार्यविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष व **महामंत्री** तथा **कोषाध्यक्ष/खंजाची** का सामान्य रूप से दिल्ली में रहना अथवा निरन्तर सम्पर्क अनिवार्य होगा ।

6. भारत के विभिन्न प्रदेशों में समाज की प्रादेशिक और जिला स्तरीय शाखायें स्थापित की जा सकती हैं और आवश्यकतानुसार तदर्थ समितियों के वैधानिक चुनाव इत्यादि सम्पन्न किये जायेगें। प्रत्येक शाखा, केन्द्रीय कार्यालय से तथा श्रेणी अनुसार कार्यालयों से सम्पर्क रखेगी।

7. समाज/संस्था के विभिन्न प्रदेशों और जिला स्तरीय शाखाओं के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया व नियम कार्यकारिणी निश्चित कर सकती है।

8. कार्यकारिणी की न्यूनतम 3 बैठकें प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगी और उनका कोरम एक तिहाई होगा।

9. कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य यदि किसी कारण से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उसे आकस्मिक कारण से रूकने पर एक दिन पहले समाज के अध्यक्ष या महामन्त्री को सूचना अवश्य देनी होगी।

10. प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य को प्रतिवर्ष कम से कम दस नए सक्रिय सदस्य बनाने होंगे।

11. संस्था की इकाईयों को निम्न प्रकार से संबोधित किया जाएगा :- अखिल भारतीय कोली समाज (रजि.) प्रदेश/जिला/तहसील शाखा.............. । लैटर पैड के लिए मोनोग्राम केन्द्रीय कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है।

Scanned by CamScanner

12. नगर/तहसील ईकाई का चुनाव, जिले ईकाई के पदाधिकारी की उपस्थिति में व जिले स्तर का चुनाव प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी की उपस्थित में तथा प्रदेश स्तर का चुनाव केन्द्रीय कार्यकारिणी के मनोनित पदाधिकारी/प्रतिनिधि की उपस्थिति में होना मान्य होगा। तदर्थ कार्यकारिणी चुनाव करने के लिए स्तर से ऊपर की संस्था से अनुमोदन (Approval) कराना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय कार्यालय को भेजनी होगी।

13. जिन विषयों का इन नियमों व विनिमयों में उल्लेख नहीं है। उनके संबंध में भी '**राष्ट्रीय कार्यकारिणी**' का निर्णय ही मान्य होगा ।

कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से ज्वलंत समस्या, भावी योजना या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित 15 मिनट का प्रस्तुतीकरण होगा।

प्रकोष्ठों का गठन

1. आर्थिक, शैक्षिणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी व मीडिया ऐसे 7 प्रकोष्ठो का गठन किया जायेगा।
2. महिला विंग व युवा विंग का गठन राष्ट्रीय/प्रादेशिक/जिला स्तर पर किया जायेगा।

समाज के अधिवेशन

चारों स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले अधिवेशनों/सम्मेलनों में प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः 1200, 500, 200 और 100 साधारण तौर पर होगी। इन संख्याओं के 20 प्रतिशत के बराबर प्रत्येक स्तर पर वर्तमान कार्यकारिणी को प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा। अधिवेशनों के प्रथम सत्र प्रतिनिधियों के लिए होंगे जो प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करेगें। चारों स्तरों के प्रतिनिधियों को क्रमशः 300/-रूपये, 200/-रूपये, 100 रूपये व 50 रूपये प्रतिनिधि शुल्क देना होगा, जो विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित स्तर की इकाईयों द्वारा परिर्वतनीय होगा।

Scanned by CamScanner

अखिल भारतीय कोली समाज के 'कार्यकर्ता अधिवेशन' में भाग लेने हेतु विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधियों की संख्या साधारणतया निम्न प्रकार होगी:-

उत्तर प्रदेश	150	हिमाचल प्रदेश	50
महाराष्ट्र	125	पंजाब	25
गुजरात	125	हरियाणा	25
मध्य प्रदेश	125	पश्चिम बंगाल	25
राजस्थान	125	तमिलनाडू	25
आन्ध्र प्रदेश	50	केरल	25
बिहार	50	उड़ीसा	25
कर्नाटक	50	उत्तराखण्ड	25
दिल्ली	100	झारखंड	25
छत्तीसगढ़	25	गोवा, असम आदि अन्य राज्यों से	25
		कुल	1200

अधिवेशन आयोजन की अधिसूचना क्रमशः 3 माह, 2 माह व 15 दिन पूर्व घोषित करना आवश्यक है, जो विशेष परिस्थितियों में परिवर्तनीय है।

"कोली-कल्प" पत्रिका

कोली समाज की गतिविधियों की जानकारी के लिये केन्द्रीय कार्यालय से प्रकाशित 'कोली कल्प' मासिक का सदस्य बनना प्रत्येक स्तर की इकाई के पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान द्विवार्षिक शुल्क 100/-रूपये है, जिसकी दर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। पत्रिका के प्रकाशन व आर्थिक विषय सम्बन्धी कोई भी निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

चन्दा विभाजन :- सक्रिय व साधारण सदस्यों से प्राप्त चन्दे का विभाजन केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिला और तहसील/नगर समिति के बीच में निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर होगा।

राष्ट्रीय समिति	-	25 प्रतिशत
प्रादेशिक समिति	-	25 प्रतिशत
जिला समिति	-	25 प्रतिशत
तहसील/नगर समिति	-	25 प्रतिशत

आजीवन सदस्यता की सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय कार्यालय को देय होगी।

प्रादेशिक इकाईयों व प्रदेशों में अन्य नामों से संचालित संस्थाओं को विकल्प के रूप में अपनी मान्यता बनाये रखने के लिए 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) बतौर सदस्यता शुल्क प्रति 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कार्यालय को भेजना होगा।

अधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

अध्यक्ष :-

अहर्ताएं :- आजीवन सदस्य हो व कम से कम 6 वर्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी/प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी रहा हो। एक कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष का होगा व एक व्यक्ति लगातार दो बार (6 वर्ष) से अधिक नहीं चुना जा सकेगा।

अधिकार व कर्तव्य :-

1. वह कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कोली समाज के समस्त कार्यो व प्रवृतियों की देख-रेख करेगा व उन्हें दिशा प्रदान करेगा उसका एक निर्णायक मत होगा।
2. वह आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश इकाई का पुर्नगठन कर सकेगा व अध्यक्ष का तदर्थ नामांकन कर सकेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाज के गणमान्य लोगों को विशेष आमंत्रितों में शामिल कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष :- समाज के कार्यों में अध्यक्ष की हर प्रकार से सहायता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अनुरूप अनिवार्य कार्य करेगा।

महामन्त्री :- निर्धारित समय पर तीन मास के पश्चात या आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि से पहले भी कार्यकारिणी की बैठक बुला सकेगा। कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी या सदस्य कार्यकारिणी के एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर करा के महामन्त्री को किसी भी उचित समय पर किसी भी विषय के विचार विमर्श हेतु बैठक बुलाने को बाध्य कर सकेगा। महामन्त्री समाज के कार्यकाल की समस्त कार्यवाहियां और गतिविधियों के पूर्ण व सजग संचालन का उत्तरदायी होगा। आमतौर पर किसी बैठक को बुलाने के लिए 15 दिन तथा आपातकालीन बैठक के लिए कम से कम एक सप्ताह (7 दिन) पहले सूचना देनी होगी।

मंत्री - ये महामन्त्री के सम्पूर्ण कार्यों के संचालन में सहायक होगें। तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी नियमानुसार प्रादेशिक गतिविधियों के बढ़ाने में सहयोग/मार्गदर्शन करेगें ।

प्रचार मंत्री/मीडिया प्रभारी - यह संस्था की समस्त गतिविधियों को प्रेस वार्ता, टी.वी. अखबार व अन्य संसाधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिये उत्तरदायी होगा।

संगठक - समाज को संगठित करने के लिए वह आवश्यक निर्णय और निर्देश दे सकेगा। कार्य-समिति द्वारा निर्णय लेने पर वह प्रादेशिक और अ.भा. सम्मलेनों, प्रदर्शनियों, महापुरूषों व संतों के मेलों आदि का आयोजन कराने का जिम्मेदार होगा। समाज का संगठन करना उसका मुख्य कार्य होगा।

कोषाध्यक्ष - कार्य समिति द्वारा स्वीकृत किसी बैंक या डाकखाने में समाज का कोष रखेगा और समस्त आय व्यय को सुचारू से रखने के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यकारिणी की स्वीकृति मिलने पर अध्यक्ष/महामन्त्री के हस्ताक्षर से किसी भी व्यय आदि का भुगतान करेगा। बैंक या डाकखाने से रूपया निकालने और पोस्ट ऑफिस, चैक या अन्य धन सम्बन्धी जरूरी परिपत्रों पर कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, महामन्त्री में से किन्ही दो के हस्ताक्षर आवश्यक है। चालू व्यय के लिए कोषाध्यक्ष 10,000/-रूपये तक अपने पास रख सकता है। इसके ऊपर की धनराशि उसको संस्था के बैंक खातें में अवश्य जमा करानी होगी

Scanned by CamScanner

खजांची – वह समस्त आय-व्यय का लेखा रखेगा तथा उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक कागजात प्रपत्र इत्यादि को रखने व कोषाध्यक्ष को सहयोग देने मे सहायता करेगा।

लेखा निरीक्षक – वह वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरे की जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रति वर्ष कार्यकारिणी द्वारा निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी/समिति के अधिकार व कर्त्तव्य

सामान्य सभा – तीन वर्ष में प्रतिनिधियों की एक सभा अवश्य होगी, जिसमें समाज की 'वार्षिक रिपोर्ट' और आय-व्यय पत्रक' पेश होगा जिसका इस बैठक में अनुमोदन करने का अधिकार होगा। इस की बैठक महामन्त्री बुलायेगा । यह सभा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले तीन माह के भीतर होगी। अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्यालय/प्रादेशिक इकाई द्वारा आमन्त्रित किया जायेगा। तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए मनोनित किया जायेगा।

वित्तीय अधिकार :- अध्यक्ष – एक बार में अधिकतम 50,000/-रूपये तक खर्च की स्वीकृति दे सकेगा।

महामन्त्री – एक बार में 10,000/- रूपये तक खर्चे की स्वीकृति देने तथा महामन्त्री की अनुपस्थिति में दिल्ली स्थित मंत्री को 2,000/-रूपये तक खर्चे की स्वीकृति देने का अधिकार है। निर्धारित रकम तक के या इससे कम के खर्चो पर स्वीकृति एक बार में अथवा कई बार में अलग-अलग दी जा सकती है।

संस्था को भंग करने के संबंध में

यदि सक्रिय/आजीवन सदस्यों के तीन-पांचवे (3/5) या इससे अधिक सदस्य संस्था को भंग का निश्चय करते हैं और अपने निश्चय को लिखित रूप में कार्यकारिणी को देते है तो संस्था उस निश्चय के अनुसार भंग कर दी जायेगी। संस्था की सम्पत्ति को बांटने तथा दायित्त्वों को पूरा करने के बारे में कार्यकारिणी उचित निर्णय लेगी। कार्यकारिणी के सदस्यों में मतभेद होने की स्थिति में मामले को दिल्ली के दीवानी न्यायलय में ले जाया जाएगा।

Scanned by CamScanner

संस्था के भंग होने पर ऋण और दायित्वों के भुगतान करने के पश्चात यदि कोई सम्पत्ति शेष रहती है तो उसका हस्तान्तरण उन्हें नहीं किया जाएगा अपितु किसी दूसरी संस्था (कोली समाज की) को वह शेष सम्पत्ति दे दी जायेगी। प्राप्त करने वाली संस्था के बारे में संस्था के भंग होने के समय पर उपस्थित सक्रिय सदस्यों के तीन-पांचवी (3/5) या इससे अधिक की संख्या के सदस्यों द्वारा मतदान पर निर्णय लिया जायेगा। यदि ऐसा निर्णय न लिया जा सके तो उपर्युक्त न्यायलय निर्णय लेगा।

संस्था के उद्देश्यों, नियमों व निनियमों में संशोधन - यदि कार्यकारिणी संस्था के वर्तमान उद्देश्यों, नियमों व विनिमयों में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन करना उचित समझती है अथवा उनमें सम्बन्धित उपनियम बनाना चाहती है तो यह कार्य वैधानिक होंगे, यदि कार्यकारिणी के (3/5) तीन पांचवे या इससे अधिक सदस्यों द्वारा इन पर स्वीकृति दे दी गई हो और इन कार्यो का निश्चय इसी उद्देश्य से आयोजित विशेष बैठक में किया गया हो । संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समितियां बनाने अथवा किसी को नियुक्त करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा। संस्था के उद्देश्यों में संशोधन, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 की धारा 12 अनुसार किया जा सकेगा ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के समस्त उपबन्ध इस समिति पर लागू होंगे ।

Scanned by CamScanner

अखिल भारतीय कोली समाज (रजि०)
केन्द्रीय कार्यालय :
कोली समाज भवन, बी-1/48, गली नं० 3, न्यू अशोक नगर,
दिल्ली-110096
सी० एल० प्रिन्टर्स द्वारा मुद्रित, फोन : 011-22710518

Scanned by CamScanner